

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

निगम की बसों के माध्यम से लघु पार्सल सेवा संचालन

क्रमांक:—एफ167-गा / मु० / प्रशा. / वि.के. / 2020 / 318

दिनांक २९।०९।२०२०

ई-बोली सूचना संख्या 01 / 2020-21

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम अपने 56 वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। निगम का मूल उद्देश्य सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अन्तर्गत यात्रियों को आर्थिक, परिपूर्ण, समयबद्धता एवं योग्य परिवहन सेवाओं के द्वारा यात्रियों एवं सामान को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाना है। वर्तमान में निगम बेड़े में 4500 बसें एवं 52 डिपो संचालित हैं, जिनके द्वारा प्रतिदिन लगभग 14 लाख कि.मी. संचालित होते हैं तथा लगभग 9 लाख यात्री प्रतिदिन अपनी यात्रा सम्पन्न करते हैं।

यहीं नहीं निगम की ब्लूलाइन साधारण/एक्सप्रेस/वोल्वो/ए.सी./नॉन ए.सी./लर्जरी आदि श्रेणियों की बसें पूरे राजस्थान राज्य के संभाग, जिला स्तर, तहसील, ढाणी, गाँवों तक चलती है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों जैसे मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली एवं चंडीगढ़ तक भी निगम की बसें संचालित होती हैं। यदि बसों के संचालन, यात्रियों के सामान से संबंधित कोई समस्या होती है तो निगम मुख्यालय पर ऐसी समस्याओं पर राहत देनें के लिये केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित है जो कि 24 घंटे कार्यरत है।

अतः निगम के उद्देश्यों की पूर्ति तथा यात्रियों एवं उनके सामान निगम की बसों के माध्यम से लघु पार्सल सेवा संचालन हेतु निगम के लाइसेंसी नियुक्त का सुनहरा अवसर प्रदान करते हुये निगम वाहनों की छतों पर लगे हुए लगेज केरियर के आधे भाग (50 प्रतिशत) एवं जिन बसों में लगेज केरियर नहीं है उनमें डिक्की के 50 प्रतिशत भाग यदि दो डिक्की हैं तो एक डिक्की में चालक केबिन के पास प्लास्टिक बॉक्स में छोटे पार्सल लिफाफे आदि, घरेलु सामान, न्यूनतम समय पर परिवहन हेतु सोल लाइसेंसी नियुक्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में ई-बोली प्रक्रिया द्वारा ऑन लाइन बोली आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित विवरण वेबसाइट www.rsrtc.rajasthan.gov.in, <http://eproc.rajasthan.gov.in> एवम् स्टेट पोर्टल ([sppp](#)) पर देखें।

इस बोली संबंधी विवरण निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	बोली संबंधी विवरण	दिनांक एवं समय
1	बोली सूचना जारी होने की तिथि	30.09.2020
2.	बोली प्रपत्र शुल्क (F.A. R.S.R.T.C Jaipur को देय)	400/-
3	धरोहर राशि (F.A. R.S.R.T.C Jaipur को देय)	4,00,000/-
4.	बोली प्रोसेसिंग शुल्क (M.D. RISL Jaipur को देय)	1,000/-
5.	बोली प्रपत्रों हेतु आवेदन / डाउनलोड करने की अवधि	01.10.2020 से 21.10.2020 तक समय: प्रातः 11:00 बजे तक।
6.	तकनीकी बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक एवं समय	21.10.2020 समय 15:30 बजे।
7.	प्री-बिड	दिनांक 12.10.2020 समय 12.30 बजे।

- 1 बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- 2 बोली खोलने की तिथि को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय बोली खोली जाएगी।
- 3 बोली दाता निगम की वाहनों की छतों पर लगे हुए लगेज केरियर के आधे भाग (50 प्रतिशत) एवं यदि बस में दो डिक्की हैं तो एक डिक्की में चालक केबिन के पास प्लास्टिक बौक्स में छोटे पार्सल लिफाफे आदि, घरेलु सामान, लघु पार्सल एवं सामान्य वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित रूप में समावित न्यूनतम समय में परिवहन हेतु साल लाइसेंसी नियुक्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में इ-बोली प्रक्रिया द्वारा ऑन लाइन बोली प्रस्तुत करेगा।
- 4 बोली प्रपत्रों में बोली दाता के लिए सूचना एवं बोली दाता की पात्रता आदि की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- 5 बोली प्रपत्र डाउनलोड/आवेदन करते समय बोली शुल्क 400 रुपये एवं धरोहर राशि 4,00,000/- रु की ढी ढी सख्त दिनांक एवं बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अकिल करें।
- 6 बोली दाता द्वारा बोली शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 21.10.2020 को 15.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
- 7 कोई भी बोली इलेक्ट्रॉनिक बोली जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह दसवाई दिन दार होगा।
- 8 बोली में भाग जून दाते बोली दाताओं को इन्टरनेट साइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑनलाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल साईफिकेट इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इसक्ट्रॉनिक बोली में साइन करने हेतु काम आयेगा। बोली दाता उपरोक्त डिजिटल साईफिकेट सी.सी.ए (C.C.A.) द्वारा सीक्रिट एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिस बोली दाताओं के पास वैद्य डिजिटल साईफिकेट है उनको नया डिजिटल साईफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
- 9 बोली दाता द्वारा बोली शुल्क एवं धरोहर राशि (F.A., R.S.R.T.C.) को ढी ढी द्वारा जमा करना होगा। तथा बोली प्रोसेसिंग शुल्क एम ही आरआईएसएल के नाम ढी ढी देय होगी यदि बोलीदाता द्वारा दिनांक 21.10.2020 को 15.00 बजे तक इस ढी ढी प्रस्तुत नहीं हो जाती है तो प्रस्ताव भाव्य नहीं होगा।
- 10 कोई दाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिपोजिट लाइन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइट के रूप में होगे उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाएंगे। कोई भी प्रस्ताव अकेले डिपोजिट लाइन में स्वीकार्य नहीं होगा।

11. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोली दाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
12. ऑनलाइन बोली निर्धारित दिनांक एंव समय पर खोली जावेगी।
13. बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करावें।
14. तकनीकी एंव वित्तीय बोलियाँ अलग-अलग खोली जायेगीं इसलिए दोनों बोली अलग अलग ऑन लाइन भरी जायेगीं एंवम् उस पर स्पष्ट रूप से तकनीकी/वित्तीय बोली (जैसी भी स्थिति हो) अंकित हो। तकनीकी रूप से योग्य पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जायेगीं अन्य बोली पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।



~~कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)~~

1. बोलीदाता/कम्पनी/संस्था/एकल स्वामित्व/सीमित देयता भागीदारी को पार्सल कोरियर सेवा करने का 2 वर्ष का अनुभव एवं वार्षिक टर्नओवर पिछले दो वर्षों में से किसी एक वर्ष में 20 लाख रु. वार्षिक होना जरूरी है। बोलीदाता को अपने संस्थान का रजिस्ट्रेशन नम्बर का प्रमाणपत्र, गत 02 वर्षों की बेलेंस-शीट,आयकर रिटर्न और अनुभव का प्रमाणपत्र तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ सलग्न करना आवश्यक होगा। बोलीदाता द्वारा उक्त पूर्ण दस्तावेज तकनीकी बोली प्रस्ताव के साथ सलग्न नहीं करने की स्थिति में उसके बोली प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । स्टार्टअप उद्यमियों को राज्य सरकार की अधिसूचना सं. एफ 2(1) एफ.डी./एफ.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 30.08.2018 के अन्तर्गत अनुभव व टर्न ओवर में छूट दी जावेगी ।
2. बोली के साथ धरोहर राशि 4,00,000(रुपये चार लाख रुपये) मात्र की डी.डी. /बैंकर्स चैक के रूप में F.A. ,R.S.R.T.C. के नाम से सलग्न करनी होगी । यह राशि जमा नहीं होने की दशा में बोलीं स्वतः ही निररत मानी जावेगी । यह राशि प्राप्त बोली पर अंतिम निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
3. अधिकृत सोल लाइसेंसी को प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर सुरक्षा राशि के रूप के रूप में अनुमोदित दर राशि X 24 माह के $2\frac{1}{2}\%$ की डी.डी./बैंकर्स चैक/बैंक गारंटी के रूप में जमा करवानी होगी जिसकी वैधता अवधि अनुबंध समाप्ति के चार माह पश्चात् तक के लिए विधिमान्य रहेगी एवं निगम द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करना होगा । यह राशि धरोहर राशि रुपये 4,00,000 (रुपये चार लाख रुपये) के अतिरिक्त होगी तथा ये दोनों राशियां निगम कोष में जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तों की समुचित पालना के पश्चात एवं अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटाई जावेगी । यदि बोलीदाता प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं करता है एवं निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गयी धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी । बोली दाता द्वारा सुरक्षा राशि जमा कराने एवं हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र निगम में प्रस्तुत करने के बाद ही कार्यादेश जारी किया जायेगा ।
4. अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात् एवं दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद / न्यायिक एवं विज्ञापन शुल्क, लाइसेंस शुल्क बकाया न होने की स्थिति में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबन्ध के अनुसार लाइसेंस शुल्क में न्यूनतम 20: (बीस प्रतिशत) की वृद्धि करते हुए आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियमानुसार नवीनीकरण किया जा सकता है । जिसका निर्णय लेने हेतु निगम स्वतंत्र होगा ।
5. सोल लाइसेंसी द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान प्रति दो माह अग्रिम प्रथम माह की 10 तारीख तक जरिये डी.डी./बैंकर्स चैक/आर.टी.जी.एस. करना होगा निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किये जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से राशि रुपये 500/- शास्ति के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा ।
6. पार्सल के रखरखाव के लिए निगम अपने स्वामित्व के बस स्टैण्डोपर अधिकृत सोल लाइसेंसीको खुला स्थल (ओपन स्पेस) का स्थान निगम परिसर में प्राथमिकता के शेड(टीन/फायबर शीट) स्वयं के खर्च से बनाना होगा । खुला स्थान (ओपन स्पेस) की दर जयपुर हेतु 50 रुपये प्रति स्क्वे, फुट जिला स्तर के बस स्टैण्डों पर 30 रुपये प्रति स्क्वे फुट एवं अन्य बस स्टैण्डों पर 20 रुपये प्रति स्क्वे फुट प्रतिमाह के अनुसार आगार कमेटी खुले स्थल का आवंटन करेगी । नियमानुसार नया विधुत

मीटर / सर्विस मीटर लगाने के बाद विघुत खर्च अतिरिक्त देय होगा। स्थल की लाइसेंस फीस एवं विजली उपभोग की राशि सबधित मुख्य प्रबन्धक कार्यालय की अधिकृत सोल लाइसेंसी द्वारा प्रतिमाह जमा कराई जावेगी।

7. लाइसेंसी द्वारा जमा करवायी गयी भरोहर राशि एवं सुरक्षा राशि में से निगम द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की वसुली की जाती है तो यह राशि निगम द्वारा जब्त की गयी तिथी से 15 दिवस के भीतर-भीतर पुनः जमा करवानी होगी अन्यथा लाइसेंस रखत ही निररत माना जावेगा।
8. सोल लाइसेंसी को पार्सलसेवा योजना अनुबन्ध अवधि से पूर्व समाप्त करने के लिए एक वर्ष पश्चात तीन माह पूर्व सूचना देनी होगी। तीन माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में इस राशि के बराबर क्षतिपूर्ति देय होगी।
9. अनुबन्ध 02 वर्ष की अवधि के लिये होगा।
10. पार्सल सेवा योजना अधिकृत सोल लाइसेंसीके माध्यम से सचालित की जावेगी।
11. पार्सलसेवा योजना निगम के सभी बस स्टैण्डों से सभी बस स्टैण्डों तक लागू होगी। योजना के अन्तर्गत पार्सल आदि निगम द्वारा सचालित समस्त राज्य के मार्गों एवं अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बस सेवाओं से परिवहन किये जा सकेंगे।
12. इस योजना के अन्तर्गत पार्सल बुक करने से लेकर निगम के निर्धारित वाहनों में गन्तव्य तक पार्सल पहुंचाने का समर्त दायित्व अधिकृत सोल लाइसेंसी का होगा। सोल लाइसेंसी पार्सलों की बुकिंग "एट ओनर रिस्क" पर ही बुक करेगा। यदि किसी भी प्राकृतिक आपदा, आगजनी, तोडफोड, लूटपाट कफर्यू हडताल बस दुर्घटना एवं अन्य कारणों से पार्सल क्षतिग्रस्त हो जाता है या गुम हो जाता है तो निगम जिम्मेदार नहीं होगा अर्थात् निगम किसी प्रकार के जोखिम दावा या क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और न ही किसी विधिक विवाद हतु जवाबदार होगा। किसी भी प्रकार के कर एवं चुंगी आदि के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधिकृत लाइसेंसी की होगी। पार्सलों के टूट फूट चोरी एवं गुम आदि से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में यदि लाइसेंसीचाहे तो स्वयं के खर्च से बीमा करवा सकता है। यदि लाइसेंसीबीमा नहीं करवाता है तो समस्त क्षति के लिये लाइसेंस धारी स्वयं जिम्मेदार होगा।
13. पार्सलों के रखने हेतु निगम बसों की छत जिन पर लगेज केरियर लगे हैं का 50 प्रतिशत तक स्थान पार्सल रखे जाने हेतु आरक्षित रहेगा तथा शेष 50 प्रतिशत स्थान निगम के यात्रियों का सामान रखने हेतु रहेगा तथा एक समय में एक बस में कुल 250 किलोग्राम से अधिक वजन के पार्सल स्वीकार नहीं किये जावेंगे तथा वही पार्सल स्वीकार योग्य होंगे, जिनका नाप प्रति पार्सल $36 \times 20 \times 20$ (घन इंच) एवं वजन सुविधाजनक होगा सुविधा वाहनों की छत पर केरियर नहीं होने के कारण सुविधा वाहनों की डिक्की में 50 किलो वजन तक के केवल छोटे पार्सल / डाक परिवहन की जा सकेगी। लाइसेंसीको बसों के अन्दर लघु पार्सल / व्यापारिक / घरेलू सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। जिन लू लाइन बसों पर लगेज केरियर नहीं है उनमें डिक्की के 50 प्रतिशत स्थान में पार्सल रखे जा सकेंगे। एवं जिन बसों में लगेज केरियर नहीं हैं तथा दो डिक्की हैं उनमें से एक डिक्की पार्सल परिवहन हेतु आरक्षित रखी जा सकेगी।
14. चालक के केबिन के पास 25 किलोग्राम तक सामान रखने के लिये प्लास्टिक तॉक्युक्त डिब्बा रखना अनुमत होगा। जिसमें छोटे पार्सल एवं लिफाफे रखे जा सकेंगे।
15. सरकार द्वारा नियंत्रित / प्रतिवंधित वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, मादक पदार्थ, तरल पदार्थ एवं अति ज्वलनशील पदार्थ, आदि के पार्सल परिवहन नहीं किये जा सकते।

16. सोल लाइसेंसी द्वारा पार्सल भेजे जाते समय यह भी प्रमाण पत्र देना होगा कि पार्सल के अन्दर कोई ज्वलनशील पदार्थ एवं मृत्यु वैधानिक व आपत्तिजनक वस्तुएं पार्सल में नहीं है। इस प्रकार की कोई घोषणा असत्य पाये जाने एवं वैधानिक कार्यवाही होने पर एजेन्सी ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। सोल लाइसेंसी को अपने खर्चे पर सामानों/पार्सलों की रकैन करने की व्यवस्था करनी होगी। अतः स्कैनर लाइसेंसी को अपने रत्तर से लगाना होगा।
17. पार्सलों की बुकिंग, वितरण, बसों में पार्सलों की चढाई, उत्तराई आदि का समर्त कार्य सोल लाइसेंसी के द्वारा ही किया जायेगा तथा इस पर होने वाले समर्त खर्च का वहन भी उनके द्वारा ही किया जायेगा।
18. ट्रेवल एजेंसीज जो कि यात्री परिवहन का कार्य करती है उन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं है।
19. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्वामित्व के बस रस्टैण्ड पर पार्सल ऑफिस के लिए खुले स्थल (ओपन स्पेस) की जगह दी जावेगी तथा जहां पर निगम के स्वामित्व के बस रस्टैण्ड नहीं हैं वहां पर अधिकृत सोल लाइसेंसी को जगह दिलवाने के लिए निगम मदद करेगा। लेकिन वहां का लोकल कर/लाइसेंस फीस लाइसेंसी को भरनी होगी निगम बस रस्टैण्डों की सूची बोली प्रपत्र के साथ संलग्न है।
20. अधिकृत एजेन्ट द्वारा संबंधित चालक/परिचालक को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 रुपये प्रति चालान दिया जायेगा जो कि मासिक लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगी लेकिन इस आधार पर अधिकृत एजेन्ट उपभोक्ता की परिभाषा में नहीं आयेगा।
21. अधिकृत सोल लाइसेंसी भेजे जाने वाले सामान का चालान तीन प्रतियों में तैयार करेगा। जिसकी एक प्रति चालक/परिचालक को दी जाकर हस्ताक्षर प्राप्त करेगा, लेकिन चालक/परिचालक के हस्ताक्षर के आधार पर पार्सल प्राकृतिक आपदा, आगजनी, तोडफोड, मारपीट, कर्फ्यू हडताल, बस दुर्घटना एवं अन्य कारणों से गुम होने पर चालक/परिचालक एवं निगम जिम्मेदार नहीं होगा। भविष्य में लाइसेंसी के लगेज पार्सल आदि हेतु यदि परिचालक ईटीआईएम से टिकिट जारी करने की व्यवस्था निगम द्वारा की जाती है तो निर्धारित राशि लाइसेंस फीस के अतिरिक्त देय होगी।
22. पार्सल व्यवसाय के संचालन हेतु आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था पार्सल एजेन्ट को स्वयं अपने रत्तर से करनी होगी। यदि ऐजेन्सी पार्सल बुकिंग हेतु सब एजेन्ट रखेगा तो इनके द्वारा किये गये समर्त कार्य कलापों के लिए सोल एजेन्ट की ही पूर्ण जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व होगा।
23. गन्तव्य स्थान पर पार्सल प्राप्त करने हेतु अधिकृत सोल लाइसेंसी के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने की दशा में निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। किन्तु चालक/परिचालक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अधिकृत सोल लाइसेंसी के प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने/सामान की सुपुदर्गी नहीं लेने पर संबंधित बस रस्टैण्ड के प्रभारी को उक्त सामान चालान सहित सम्भलावेंगे। प्रभारी अधिकारी उक्त सामान 100/- रुपये प्रति पार्सल प्रति दिन शास्ति राशि वसूल कर अधिकृत सोल लाइसेंसी को दिया जावेगा।
24. अनुबन्ध को निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा लेकिन इस हेतु एक माह का नोटिस दिया जावेगा।
25. लाइसेंसी को योजना कियान्वित करने के लिए कार्य आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस अथवा कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक जो भी पहले हो तक की समय अवधि में छूट दी जावेगी।
26. बसों में भेजे जाने वाले सामान पर केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय क्षेत्र का कर/टोल कर अथवा अन्य कोई भी कर देय होगें तो उसका भुगतान अधिकृत सोल लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस फीस के अतिरिक्त किया जावेगा।

27. जिस दिन संबंधित आगार द्वारा टायर, रिट्रेडिंग हेतु भेजे जावेगें अथवा जयपुर से नये टायर किसी आगार को भेजे जावेगें उस दिन उस बस में अधिकृत सोल लाइसेंसी द्वारा सामान नहीं भेजा जावेगा। इसके लिए निगम की कोई जवाबदेही नहीं होगा।
28. अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर निगम को तुरन्त प्रभाव से अनुबन्ध समाप्त करने, अमानत राशि एवं सुरक्षा राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
29. लाइसेंस धारी द्वारा पार्सल सामान्यतया बुकिंग के समय से 48 घन्टे के भीतर निर्दिष्ट स्थानों पर पहुंचाई जावेगी और जहां तक सम्भव होगा निगम समयबद्धता का पूरा ध्यान रखेगा लेकिन ऐसे किसी कारण से जिन पर निगम का नियंत्रण नहीं हो विलम्ब हो जाने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही निगम अदृश्य कारणों से होने वाली क्षति टूट-फूट, ईश्वरीय कारण, दुश्मन की कार्यवाही अथवा दोष जो प्रेषणदाता का रहा हो, ब्रेक डाउन, दुर्घटना, तालाबन्दी, हडताल, जनविद्रोह युद्ध दंगे आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
30. निगम वाहनों द्वारा डाक विभाग की डाक, निगम डाक एवं स्टेशनरी राज्य सरकार की डाक अथवा सामान एवं समाचार पत्र लाने व ले जाने का निगम को पूर्ण अधिकार रहेगा तथा सोल लाइसेंसी को यह कार्य करने का अधिकार नहीं होगा न ही किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा।
31. निगम बसों से यात्रा के दौरान यात्री के साथ निजी/घरेलू सामान का परिचालक द्वारा पूर्वानुसार लगेज टिकिट जारी कियां जावेगा। इस सामान को पार्सल सेवा में शामिल नहीं किया जावेगा।
32. पार्सल बुकिंग व डिलीवरी हेतु रिक्शा, टेला, को पार्सल स्थल तक आने की अनुमति संबंधित आगार के मुख्य प्रबन्धक / स्थान प्रभारी द्वारा दी जायेगी।
33. विड प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए प्रथम अपील सुनने हेतु प्रबंध निदेशक महोदय अधिकृत होंगे। यदि निगम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एक ही पद हो तो प्रथम अपील सुनने हेतु निम्नुसार कमेटी गठित की जावेगी:-
- क. वित्तीय सलाहकार,
 - ख. कार्यकारी निदेशक(विधि)
- तथा द्वितीय अपील सुनने हेतु निगम के अध्यक्ष/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय (यदि दोनों एक ही पद हो तो) अधिकृत होंगे।
34. अनुबंध कियान्वयन शर्तों एवं अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए प्रथम पक्ष (निगम) के आदेशांक 781 दिनांक 03.10.2017 द्वारा गठित स्टैंडिंग कमेटी जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक(Chair Person), वित्तीय सलाहकार, संबंधित विभागाध्यक्ष, कार्यकारी निदेशक(विधि) तथा संबंधित विभाग का प्रभारी अधिकारी सदस्य सचिव समिलित हैं, के समक्ष प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय पारित हुए बिना वाद किसी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि प्रथम पक्ष की स्टैंडिंग कमेटी ही उत्पन्न विवाद का निपटारा / निर्णय करेगी एवं इसके लिए दोनों पक्ष सहमति व्यक्त करते हैं। न्यायालय का कार्यस्थल क्षेत्र जयपुर होगा।
35. अधिकृत सोल लाइसेंसी उक्त शर्तों के अतिरिक्त निगम द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की भी पूर्ण पालना करेगा।
36. जिस संस्था के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा उसे निगम के साथ स्वयं के खर्च पर उक्तानुसार 15 दिवस के भीतर भीतर अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित

करना होगा। जिसका प्रारूप निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा जो लगभग इन्ही शर्तों के अनुरूप होगा।

37 संलग्न घोषणा पत्र को भरकर उस पर हस्ताक्षर करके बोली प्रस्तावों के साथ संलग्न करें।

38 किसी भी बोली प्रस्ताव एंव बिना कारण बताये सभी बोली प्रस्तावों को अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

39 बोलीदाता द्वारा दिया गया कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

40 यदि किसी संरथान/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन एंव न्यायालय आदि में विवाद है तो उसके प्रस्ताव अस्वीकार करने का निगम को अधिकार होगा।

41 बोली प्रस्ताव ई-बोली के माध्यम से प्रेषित करने होंगे।

42 युद्ध/दंगे/जन विद्रोह/बन्द/हड़ताल/तालाबन्दी/दुर्घटना या निगम के आंतरिक निर्णय के फलस्वरूप निगम के निर्धारित स्टैण्डों पर वाहनों का संचालन निलम्बन/निरस्त हो जाता है या किया जाता है तो लाइसेंसी को इस आकस्मिक घटना की एवज में किसी प्रकार की छूट या रियायत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी (**Force Majeure**) क्लाज के अन्तर्गत किये गये निर्णयानुसार होगी।

43 RTPP Act 2012 & Rules 2013 के सभी प्रावधान लागू होंगे।

मैंने उक्त सभी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़/समझ लिया है तथा उक्त सभी शर्त मुझे स्वीकार है।

हस्ताक्षर
मय रबर मोहर बोलीदाता

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
निगम की बसों के माध्यम से लघु पार्सल सेवा संचालन हेतु ई-तकनीकी
बोली प्रपत्र

ई- तकनीकी बोली - प्रपत्र

दिनांक:-

बोली प्रपत्र की राशि जमा रूपये 400/-
 (अक्षरे:- चार सौ रुपये)

डी.डी. स०—-----दिनांक-----

- फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता
 - टेलीफोन नम्बर / मो
 - कार्यालय-
 - निवास
 - टेलेकस नं०
 - धरोहर राशी :-
 - झापट/वैंकर्स चैंक संख्या व दिनांक
 - फर्म/कम्पनी का नाम व पूरा पता एवं रजिस्ट्रेशन नं.
 - बैंक का नाम, खाता संख्या, ब्रांच, आई.एफ.एस.सी संख्या
 - बोली दाता की चल/अचल संपत्ति का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करे।
 - बोली प्रपत्र के अनुसार संलग्न दस्तावेजों की संख्या एवं विवरण।

पूरा नाम:-
हेसियतः- मालिक / पार्टनर
पूर्ण पता:-

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
निगम की बसों के माध्यम से लघु पार्सल सेवा संचालन हेतु ई-वित्तीय
बोली प्रपत्र

ई-वित्तीय बोली – प्रपत्र

(यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है।) बोली प्रपत्र संख्या:-एफ167-गा / मु० / वि० / 19 / दिनांक:-

— वै अस्मि तत्

बोली प्रपत्र की राशि जमा रुपये 400/-
 (अक्षरे:- चार सौ रुपये)

डी.डी. स०—-----दिनांक-----

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता

2. टेलीफोन नम्बर/मो०

3. टेलेकस्ट नं०

4. निवास

5. धरोहर राशि :-

6. देय लाईसेन्स राशि रुपये प्रतिमाह रुपये
(अक्षरे)

7. फर्म/कम्पनी का नाम व पूरा पता एवं रजिस्ट्रेशन नं.

8. बैंक का नाम, खाता संख्या, ब्रांच, आई.एफ.एस. सी संख्या

9. बोली दाता की चल/अचल संपत्ति का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करें।

पूरा नाम:-
हैसियतः- मालिक / पार्टनर
पूर्ण पता:-

घोषणा—पत्र

बोलीदाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर डीजीटल हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

- 1 मैं/हम डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर _____ दिनांक _____ राशि
रूपये _____ अक्षरें _____ जो कि वित्तीय
सलाहकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है संलग्न कर रहे हैं/कर
दिया है।
- 2 मैं/हमने निगम की समस्त शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन
सभी शर्तों की पालना का वचन देता हूँ/देते हैं। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर
लिया जाता है तो मैं/ हम निगम के साथ दिये गये प्रारूप आधार पर अनुबन्ध—पत्र पर
हस्ताक्षर कर दूँगा / देंगे ।
- 3 मैं/हम घोषणा करता/करते हैं/हूँ कि मैंने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उसमें
किसी अन्य संस्था को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्था
की तरफ से नहीं दिये गये हैं।
- 4 मैं/हम वचन देता/देते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव चार माह की अवधि
तक लागू रहेगा।

दिनांक:-

हस्ताक्षर—बोलीदाता
मय पद/हैसियत व मोहर सहित

निगम के विभिन्न बस स्टैण्डों पर लघु पार्सल सेवा संचालन हेतु उपलब्ध स्थान एवं क्षेत्रफल(वर्ग फिट में) का विवरण:-

क्रमांक	स्थान का नाम	श्रेणी	क्षेत्रफल(वर्ग फिट में)
1	आबूरोड	BS	150
2	आहोर	BS	150
3	अनूपगढ	BS	150
4	अलवर	BS	200
5	बर	BS	100
6	बांसवाडा	BS	200
7	बांरा	BS	200
8	बीदासर	BS	100
9	बडोदा मेव	BS	100
10	व्यावर	BS	150
11	भरतपुर	BS	200
12	भीलवाडा	BS	400
13	बीकानेर	BS	300
14	बूंदी	BS	200
15	बिलांडा	BS	150
16	सीबीएस जयपुर	BS	400
17	सीबीएस अजमेर	BS	400
18	चित्तौड़गढ	BS	200
19	चाकसू	BS	150
20	चौहटन	BS	100
21	चुरू	BS	200
22	दांता	BS	100
23	दौसा	BS	200
24	देलवाडा	BS	100
25	देवली	BS	150
26	धौलपुर	BS	200
27	दूदू	BS	150
28	डूंगरपुर	BS	200
29	फालना	BS	100
30	गंगानगर	BS	200
31	घाटगेट जयपुर	BS	100
32	झालावाड	BS	200
33	झुन्झुनु	BS	200
34	जैतारण	BS	150
35	जोधपुर	BS	300
36	करौली	BS	200
37	केकडी	BS	150
38	खाजुवाला	BS	100

39	खेतडी	BS	150
40	किशनगढ	BS	150
41	कोटा	BS	200
42	लोसल	BS	100
43	मेडतासिटी	BS	150
44	महुआ	BS	150
45	माउण्ट आबू	BS	100
46	नागौर	BS	200
47	नसीराबाद	BS	150
48	नीमकाथाना	BS	150
49	निमाज	BS	100
50	निवाई	BS	150
51	पाली	BS	200
52	पडिहारा	BS	100
53	फलौदी	BS	100
54	रतनपुर	BS	100
55	रायपुर	BS	150
56	सिमलवाडा	BS	150
57	सागवाडा	BS	150
58	सरदारशहर	BS	150
59	सवाईमाधोपुर	BS	200
60	शाहपुरा	BS	150
61	शिवगंज	BS	150
62	सांडेराव	BS	100
63	श्रीडूगरगढ	BS	150
64	सीकर	BS	200
65	सिरोही	BS	200
66	सिरोही रोड	BS	100
67	टोंक	BS	200
68	उदयपुर	BS	300

ANNEXURE- A

COMPLIANCE WITH THE CODE OF INTEGRITY AND NO CONFLICT OF INTEREST

Any person participating in a procurement process shall –

- a) not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- b) not misrepresent or omit that mislead or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process.
- d) not misuse any information shared between the procuring entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the Procurement process.
- e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the Procurement process.
- f) not obstruct any investigation or audit of a Procurement process.
- g) disclose conflict of interest, if any and
- h) disclose any previous transgressions with any Entity in india or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

CONFLICT OF INTEREST :

The Bidder participating in a bidding process must not have a conflict interest. A conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliances with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but limited to :

- a) have controlling partners/shareholders in common; or
- b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder or influence the decision of the Procuring Entity regarding the Bidding process; or
- e) the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process.
Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the bidder is involved. however, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or to proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in charge/consultant for the contract

Signature of tenderer with seal

ANNEXURE- B
DECLARATION BY THE BIDDER REGARDING QUALIFICATIONS
DECLARATION BY THE BIDDER

In relation to my/our Bid submitted to

.....,..... for procurement of
.....,..... in response to their notice inviting Bid
No. Dated I/We hereby declare under
Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

01. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
02. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Documents;
03. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
04. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to entire to a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
05. I/we do not have conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Bidder with seal
Place :

Signature of
Name :
Designation :
Address :

ANNEXURE- C

GRIEVANCE REDRESSAL DURING PROCUREMENT PROCESS

As per bid condition No. 30 . 33.

01. Filing an appeal

If a Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provision to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to first Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved.

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

02. The officer to whom an appeal is filled under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

03. If the officer designation under para (1) fails to dispose the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

04. Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :

- a) determination of need of procurement;
- b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- c) the decision of whether or not to enter into negotiation;
- d) cancellation of a procurement process;
- e) applicability of the provisions of confidentiality.

05. Form of Appeal

a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

06. Fee of filing appeal

a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

07. Procedure for disposal of appeal

a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, Shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

Signature of tenderer with seal

b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

(i) here all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of tenderer with seal

ANNEXURE- D

ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT

01. Correction of arithmetical errors :

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

- (i) if there is discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- (ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bids does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

02. Procuring Entity's Right to Vary Quantities :

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. it shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply, if the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Suppliers.

03. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of Procurement of Goods) :

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is

21Q

Tender Inviting Authority: EXECUTIVE MANAGER (Advertisement)

Name of Work: Small Parcel Services

Contract No: F.167-III/HO/Admin/Advt/560/ Date 14.08.2019

Name of the
Bidder/
Bidding Firm /
Company :

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only.)

SI. No.	Item Description	Basic Rate in Figures To be entered by the Bidder per Month in Rs. (Services Tax Extra if Applicable)	TOTAL AMOUNT Without Taxes	TOTAL AMOUNT In Words	
1			4	5	6
2	Small Parcel Services		0.00	INR Zero Only	

Total in Figures

INR Zero Only

Quoted Rate in Words